

141

(To be substituted for the letter bearing same No. and date)

क्रमांक ६/१३/९३-२३० एस० ।

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

१. सभी विभागाधीक, संयुक्त, अव्युक्त, अव्याला, हिसार, रोहतक एवं गुडगाड़ मण्डल।
२. सभी उपायुक्त एवं उपमण्डलाधिकारी (नागरिक)।
३. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चम्पोगढ़।

दिनांक, चण्डीगढ़ १८ मार्च, १९९४

विषय:- वर्कचार्ज, कंजुअल/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने वारे नीति।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्योन इस विभाग के परिपक्व भव्यांक ६/४/९०-२३० एस०॥ दिनांक २७ जिस द्वारा ३१-३-९३ को पांच वर्ष को दैनिक वेतन सर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने के बारी किए गये थे, की ओर दिलाने का दिक्षेत्र हुआ है। कुछ समय से सरकार के यह विभागीय नियमों के द्वारा दैनिक वेतन पर की गई सेवा में कितना ब्रेक होना चाहिए तथा क्या जिन कर्मचारियों ने पृथक-पृथक पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो व दिनांक ३१-३-९३ को सेवा में हों और प्रत्येक वर्ष में २४० दिन से अधिक ब्रेक नहीं होना चाहिए तक पृथक-पृथक पदों पर भिन्न भिन्न पद नामों से कार्य करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का प्रश्न है, यह निर्णय लिया गया है कि यदि ऐसे कर्मचारी अन्य शर्तें पूरी करते हों और एक ही विभाग में भिन्न-भिन्न पर वाले पृथक-पृथक पदों पर सेवा की होती हो तो उन्हें नियमित कर दिया जाए।

भवदीया,  
हस्ताक्षर

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन  
कृति:—मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्त, आयुक्त एवं सचिव को सूचनार्थ एवं बागामी आवश्यक इन प्रेसित की जाती है।

हस्ताक्षर

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन  
कृति: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार